न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 15/2020 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

1. बदामी पत्नी मियाराम कुमावत आयु व्यस्क निवासी डांग का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।— वादी

बनाम

1. गोविन्ददास पुत्र बजरंगदास बैरागी आयु व्यस्क निवासी डांग का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. कैलाशदास पुत्र बजरंगदास बैरागी आयु व्यस्क निवासी डांग का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. राजारामदास पुत्र बजरंगदास बैरागी आयु व्यस्क निवासी डांग का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. सीतादेवी पत्नी बजरंगदास बैरागी आयु व्यस्क निवासी डांग का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. चन्दा पुत्री बजरंगदास पत्नी बजरंगदास आयु व्यस्क निवासी डांग का खेड़ा हाल सीड़ियास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
6. राधाकिशनदास पुत्र जगन्नाथदास बैरागी आयु व्यस्क निवासी डांग का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. ग्राम सेवा सहकारी समिति चावण्डिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये व्यवस्थापक।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
01 श्री हरिश चंद्र टेलर — अधिवक्ता वादी
02 एक तरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 26.04.2022

वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 — राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील करेड़ा के खाता संख्या 106 में आराजी संख्या 993 रकबा 4.05 बीघा भूमि वादीया तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के नाम राजस्व रेकार्ड़ में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड़ है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग—उपभोग कर रहे है परन्तु प्रतिवादीगण सहमति से विभाजन को तैयार नहीं होने से यह वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीया का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस वास्ते तलबी हेतु जारी किए गए। नियत दिनांक को प्रतिवादीगण को विधिवत् तीन मर्तबा रूक रूक कर आवाजें लगाई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादीगण व तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण ने सहमति देते हुए विभाजन किए जाने का निवेदन किया। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वाद न्याय हित में स्वीकार किया गया। अतएवः

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आदेश

तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 के मध्य विभाजन इस प्रकार है –

वादीया – बदामी पत्नी मियाराम कुमावत आयु व्यस्क सा0 देह खातेदार

आराजी नंबर 993/2 रकबा 0.3583 हैक्टयर किस्म बारानी–।।

प्रतिवादीगण – कैलाश दास पुत्र बजरंग दास 1/10, गोविन्द दास पुत्र बजरंग दास 1/10, चन्दा पुत्री बजरंग दास 1/10, राजाराम दास पुत्र बजरंग दास 1/10, सीता देवी पत्नी बजरंग दास 1/10, राधाकिशन दास पुत्र जगन्नाथ दास 1/2 बैरागी सा0 देह खातेदार रहन हिस्सा गोविन्ददास पर जीएसएस चावण्डिया

आराजी नंबर 993/1 रकबा 0.7124 हैक्टयर किस्म बारानी–।।

उक्तानुसार भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:43 IST
Reason: SelfAttested